उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति

महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (Sexual Harassment)

केंद्र सरकार द्वारा पारित, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013, के अनुपालन में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं इसकी खंडपीठ लखनऊ एवं इसके अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत महिला न्यायिक अधिकारियों, महिला अधिवक्ताओं, महिला कर्मचारियों आदि की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों को सुनने और उस पर कार्यवाही की संस्तुति करने हेतु एक आंतरिक जांच समिति माननीय न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित की है ।

क्या आप जानते हैं?

- कामकाजी महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक दण्डनीय अपराध है ।
- सरकारी सेवा नियमावली एवं शर्तों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का दोष सिद्ध होने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है जिसमें सेवा से पृथक भी किया जा सकता है ।

यौन उत्पीड़न की परिभाषा, जो नहीं करना चाहिए

- महिलाओं का शारीरिक संपर्क (छूना) अनुरोध/मांग करना, यौन कार्य हेतु उकसाना।
- महिलाओं को अश्लील साहित्य दिखाना/भेजना, मौखिक आचरण करना।
- लैंगिक उत्पीड़न के किसी कृत्य या व्यवहार के संबंध में महिलाओं को वर्तमान/भविष्य की रोजगार में धमकी/प्रलोभन देना, मानसिक आघात पहुंचाना।
- महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार का कार्य/व्यवहार जो अपमानजनक हो या यौन उत्पीड़न का समर्थन करें, उसकी शिकायत नियम 7 के अधीन प्रेषित करें।

नियम-7 के मुख्य अंश इस प्रकार हैं

यौन उत्पीड़ित महिला स्वयं (उसकी किसी भी प्रकार की असमर्थता होने पर) उसके नातेदार, मित्र, सहकर्मी अथवा महिला की सहमति से कोई अन्य व्यक्ति द्वारा भी यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रेषित करा सकती है।

यौन उत्पीड़ित महिला की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत प्रेषित कराया जा सकता है।

शिकायत करते समय, शिकायत के साथ समर्थक दस्तावेजों एवं साक्षियों के नाम पता आदि की छः प्रतियां प्रेषित करनी होगी।

यदि यौन उत्पीड़ित महिला लगातार तीन सुनवाई में कमेटी के आदेशानुसार यथोचित कार्यवाही नहीं करती है तो कमेटी एक पक्षीय फैसला करने को स्वतंत्र होगी।

किसी भी प्रकार से, कोई भी विधिक व्यवसायी या सलाहकार लाने की अनुमति नहीं है।

यह विदित हो कि जहां यौन उत्पीड़न की सच्ची शिकायत के आधार पर दोषी व्यक्ति को (सरकारी सेवक होने की दशा में) नौकरी से पृथक किये जाने संबंधी सजा का प्रावधान है, वहीं यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत पाये जाने पर उक्त महिला को दंडित करने का भी प्रावधान है।

यदि शिकायत झूठी पायी जाती है तो शिकायत समिति, जिलाअधिकारी या उनके वर्तमान नियोक्ता द्वारा शिकायतकर्ता के विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही की संस्तुति कर सकती है।

यौन उत्पीड़न से सम्बंधित शिकायतें माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय या माननीय महानिबंधक महोदय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष दर्ज कराई जा सकेगी।

इस अधिनियम के अधीन प्राप्त होने वाली सूचना गोपनीय रखी जाती है।